

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 963-967

Dated 13-12-2008

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग )

( केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 212.—भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, जिसे भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 12 अप्रैल, 2008 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) (केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 62, तारीख 10 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे उन व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 जून, 2008 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट संशोधनों की बाबत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बॉयलर विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बॉयलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 47 में, खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) डिजाइन, धातु, तापमान निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे :—

क्र. सं.	श्रेणी	तापमान
(1)	(2)	(3)
		(°सेंटिग्रेड) (°फारेनहाइट)
1	टी 1, टी 2	538 1000
2	टी 5, टी 9, टी 11, टी 22, टी 91, 12 XI एमओ, X 20सी आरएमओबी 121	649 1200
3	टीपी 304, टीपी 304 एच, टीपी 310 एस, टीपी 316, टीपी 316एच, टीपी 321, टीपी 321 एच, टीपी 347, टीपी 347एच	816 1500
4	टीपी 304एल, टीपी 316एल	427 800 l''

[फा. सं. 20(26)/2006-बॉयलर्स]

एस. के. जैन, सचिव

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में का.आ. 600 तारीख 15 सितम्बर, 1950 द्वारा प्रकाशित किए थे और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए :—

- (i) सा.का.नि. 178, तारीख 24 मार्च, 1990;
- (ii) सा.का.नि. 179, तारीख 24 मार्च, 1990;
- (iii) सा.का.नि. 488, तारीख 9 अक्टूबर, 1993;
- (iv) सा.का.नि. 516, तारीख 23 अक्टूबर, 1993;
- (v) सा.का.नि. 634, तारीख 25 दिसंबर, 1993;
- (vi) सा.का.नि. 107, तारीख 26 फरवरी, 1994; शुद्धिपत्र सा.का.नि. 223 तारीख 14 मई, 1994
- (vii) सा.का.नि. 250, तारीख 4 जून, 1994;
- (viii) सा.का.नि. 402, तारीख 13 अगस्त, 1994;
- (ix) सा.का.नि. 427, तारीख 20 अगस्त, 1994;
- (x) सा.का.नि. 562, तारीख 12 नवम्बर, 1994;
- (xi) सा.का.नि. 607, तारीख 10 दिसम्बर, 1994;
- (xii) सा.का.नि. 83, तारीख 25 फरवरी, 1995;
- (xiii) सा.का.नि. 93, तारीख 4 मार्च, 1995;
- (xiv) सा.का.नि. 488, तारीख 9 नवम्बर, 1996;
- (xv) सा.का.नि. 582, तारीख 28 दिसम्बर, 1996;
- (xvi) सा.का.नि. 59, तारीख 25 जनवरी, 1997;
- (xvii) सा.का.नि. 117, तारीख 1 मार्च, 1997;
- (xviii) सा.का.नि. 172, तारीख 29 मार्च, 1997;
- (xix) सा.का.नि. 221, तारीख 21 नवम्बर, 1998;
- (xx) सा.का.नि. 131, तारीख 1 मई, 1999;
- (xxi) सा.का.नि. 139, तारीख 8 मई, 1999; शुद्धिपत्र सा.का.नि. 201 तारीख 7 अप्रैल, 2001 ।
- (xxii) सा.का.नि. 237, तारीख 31 जुलाई, 1999;
- (xxiii) सा.का.नि. 345, तारीख 23 अक्टूबर, 1999;
- (xxiv) सा.का.नि. 397, तारीख 14 अक्टूबर, 2000;
- (xxv) सा.का.नि. 219, तारीख 14 अप्रैल, 2001;
- (xxvi) सा.का.नि. 496, तारीख 8 सितम्बर, 2001;
- (xxvii) सा.का.नि. 672, तारीख 15 दिसम्बर, 2001;
- (xxviii) सा.का.नि. 127, तारीख 13 अप्रैल, 2002;
- (xxix) सा.का.नि. 407, तारीख 22 नवम्बर, 2003;
- (xxx) सा.का.नि. 201, तारीख 19 जून, 2004;
- (xxxi) सा.का.नि. 203, तारीख 19 जून, 2004;
- (xxxii) सा.का.नि. 265, तारीख 7 अगस्त, 2004;
- (xxxiii) सा.का.नि. 32, तारीख 29 जनवरी, 2005;
- (xxxiv) सा.का.नि. 66, तारीख 26 फरवरी, 2005;
- (xxxv) सा.का.नि. 67, तारीख 26 फरवरी, 2005;
- (xxxvi) सा.का.नि. 423, तारीख 24 दिसम्बर, 2005;
- (xxxvii) सा.का.नि. 27, तारीख 4 फरवरी, 2006;
- (xxxviii) सा.का.नि. 201, तारीख 12 अगस्त, 2006;
- (xxxix) सा.का.नि. 280, तारीख 18 नवम्बर, 2006;
- (xxxx) सा.का.नि. 216, तारीख 17 मार्च, 2007;
- (xxxxi) सा.का.नि. 123, तारीख 27 जून, 2008 ।

## (Department of Industrial Policy and Promotion)

## (Central Boilers Board)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2008

**G. S. R. 212.**—Whereas, certain draft regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published, as required by sub-section (1) of Section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), in Part-II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India dated the 12th day of April, 2008, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) (Central Boilers Board), number G.S.R. 62, dated the 10th day of April, 2008 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th June, 2008;

And whereas, no objections or suggestions have been received within the specified period in respect of the amendments contained in this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 28 of the Indian Boilers Act, 1923, the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Second Amendment) Regulations, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 47, for clause (iv), the following shall be substituted, namely :—

“(iv) The design metal temperatures shall not exceed the following limits :—

Sl. No.	Grade	Temperature	
		°C	°F
1	2	3	
1.	T1, T2	538	1000
2.	T5, T9, T11, T12, T22, T91, 12X1Mo, X20CrMoV121	649	1200
3.	TP304, TP304H, TP310S, TP316, TP316H, TP321, TP321H, TP347, TP347H	816	1500
4.	TP304L, TP316L	427	800.”

[F. No. 20(26)/2006-Boilers]

S. K. JAIN, Secy.

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, vide number S.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and subsequently amended vide the following notifications, namely :—

- (i) G.S.R. 178, dated the 24th March, 1990;
- (ii) G.S.R. 179, dated the 24th March, 1990;
- (iii) G.S.R. 488, dated the 9th October, 1993;
- (iv) G.S.R. 516, dated the 23rd October, 1993;
- (v) G.S.R. 634, dated the 25th December, 1993;
- (vi) G.S.R. 107, dated the 26th February, 1994; Errata G.S.R. 223, dated the 14th May, 1994;
- (vii) G.S.R. 250, dated the 4th June, 1994;
- (viii) G.S.R. 402, dated the 13th August, 1994;

- (ix) G.S.R. 427, dated the 20th August, 1994;
- (x) G.S.R. 562, dated the 12th November, 1994;
- (xi) G.S.R. 607, dated the 10th December, 1994;
- (xii) G.S.R. 83, dated the 25th February, 1995;
- (xiii) G.S.R. 93, dated the 4th March, 1995;
- (xiv) G.S.R. 488, dated the 9th November, 1996;
- (xv) G.S.R. 582, dated the 28th December, 1996;
- (xvi) G.S.R. 59, dated the 25th January, 1997;
- (xvii) G.S.R. 117, dated the 1st March, 1997;
- (xviii) G.S.R. 172, dated the 29th March, 1997;
- (xix) G.S.R. 221, dated the 21st November, 1998;
- (xx) G.S.R. 131, dated the 1st May, 1999;
- (xxi) G.S.R. 139, dated the 8th May, 1999; Errata G.S.R. 201, dated the 7th April, 2001;
- (xxii) G.S.R. 237, dated the 31st July, 1999;
- (xxiii) G.S.R. 345, dated the 23rd October, 1999;
- (xxiv) G.S.R. 397, dated the 14th October, 2000;
- (xxv) G.S.R. 219, dated the 14th April, 2001;
- (xxvi) G.S.R. 496, dated the 8th September, 2001;
- (xxvii) G.S.R. 672, dated the 15th December, 2001;
- (xxviii) G.S.R. 127, dated the 13th April, 2002;
- (xxix) G.S.R. 407, dated the 22nd November, 2003;
- (xxx) G.S.R. 201, dated the 19th June, 2004;
- (xxxi) G.S.R. 203, dated the 19th June, 2004;
- (xxxii) G.S.R. 265, dated the 7th August, 2004;
- (xxxiii) G.S.R. 32, dated the 29th January, 2005;
- (xxxiv) G.S.R. 66, dated the 26th February, 2005;
- (xxxv) G.S.R. 67, dated the 26th February, 2005;
- (xxxvi) G.S.R. 423, dated the 24th December, 2005;
- (xxxvii) G.S.R. 27, dated the 4th February, 2006;
- (xxxviii) G.S.R. 201, dated the 12th August, 2006;
- (xxxix) G.S.R. 280, dated the 18th November, 2006;
- (xxxx) G.S.R. 216, dated the 17th March, 2007;
- (xxxxi) G.S.R. 123, dated the 27th day of June, 2008.